दिनांक 21.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 24/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अलीगढ़/थाना इगलास

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 05 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 03 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21.02.2025 को थाना इगलास व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करवन नदी पुल से 04 अभियुक्तों 1–सचिन 2–आकाश 3–गुलजार उर्फ रोहित 4–लवकुमार उर्फ सुक्का को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 05 हजार रूपये नगद, चोरी की 03 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना इगलास क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना इगलास पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये व वाहन लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त लवकुमार उर्फ सुक्का के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग, अभियुक्त आकाश व गुलजार उर्फ रोहित के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना इगलास पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सचिन निवासी लक्ष्मी नगर कस्बा व थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

2–आकाश निवासी कांडली थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

3–गुलजार उर्फ रोहित निवासी कैमावली थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

4–लवकुमार उर्फ सुक्का निवासी मोहल्ला असावर थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 05 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की 03 मोटर साइकिल।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **65 किलोग्राम तांबे का तार**
- **01 सेन्ट्रो कार**
- **चोरी करने के उपकरण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20/21.02.2025 की रात्रि थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिसावा रोड ग्राम गोठनी के पास कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–दिलावर 2–ताहिर घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछतॉछ के उपरान्त कम्बिंग के दौरान अभियुक्त 3–नसीम 4–अकरम 5–सोनू 6–कासिम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 65 किलोग्राम तांबे का तार, 01 सेन्ट्रो कार, चोरी करने के उपकरण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिलावर के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़, अमरोहा के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग व अभियुक्त ताहिर के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़, अमरोहा, हापुड़ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिलावर निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

2–ताहिर निवासी ग्राम खगोई थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

3–नसीम निवासी मोहल्ला लोबिया नगर, थाना लोबिया नगर जनपद मेरठ।

4–अकरम निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

5–सोनू निवासी ग्राम खगोई थाना सिम्भावली जनपद मेरठ।

6–कासिम निवासी मोहल्ला जाकिर कालोनी थाना लोबिया नगर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–65 किलोग्राम तांबे का तार,

2–01 सेन्ट्रो कार।

3–चोरी करने के उपकरण।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना कड़ाधाम (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कड़ाधाम पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/364 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बच्चन को आजीवन कारावास व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना रामपुर बरकोनिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रामपुर बरकोनिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त श्यामलाल को आजीवन कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना घोरावल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना घोरावल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/370/376डी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बाबूलाल 2–रामप्रसाद को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना नारखी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना नारखी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/354 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शिवराज को 20 वर्ष के कारावास व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महोबा/थाना पनवाड़ी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना पनवाड़ी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कपिल को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सैनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)ठ/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बोडा को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना अहिरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना अहिरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रमेश को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————